।।कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर (राज0)।।

क्रमांक/प.6( )जालोर/अशा/परि./2021/ 2533 दिनांक 03/03/2021

श्रीमान् महानिरीक्षक पुलिस,
जोधपुर रेंज, जोधपुर।

विषयः- दिनांक 03.03.2021 को समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार शीर्षक ''आठ दिन पहले नाबालिग बेटी अगवा, कार्रवाई नहीं हुई, मां ने किया आत्मदाह'' के संबंध में पालना रिपोर्ट भेजने बाबत्।

प्रसंगः- आपके पत्र क्रमांक व-15( )जोध-रेंज/अशा./न्यूज/2020/386 दिनांक 03.03.2021 के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में निवेदन है कि दिनांक 27.02.2021 को प्रार्थी श्री मुलसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह जाति राजपुत (सौलंकी) उम्र 30 वर्ष पेशा खेती निवासी थुर पुलिस थाना रामसीन द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मै मेरे परिवार सहित गांव थुर में निवास करता हूँ। मेरी बहिन सुश्री फिलम कंवर पुत्री श्री मंगलसिंह जाति राजपूत उम्र 17 साल (जन्म दिनांक 25.06.2004) दिनांक 23.02.2021 को शाम को हमारे घर से महेन्द्रसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत निवासी सुराणा तहसील सायला बहला फुसलाकर लेकर चला गया है। मेरे घर के दोनों फोन दिनांक 23.02.2021 की शाम मेरी बहिन घर से गायब होने के बाद से बंद है तथा मेरी बहिन के पास ही है। हम परिवार के लोगों ने मेरी बहिन की तलाश हमारे गांव व सुराणा में की मगर कोई सुराग नहीं चला है, आज रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि मेरी नाबालिग बहिन सुश्री फिलम कंवर की तलाश करवाकर हमें सुपुर्द करावें व महेन्द्रसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करावें, वगैरा रिपोर्ट पर मुकदमा सं. 31 दिनांक 27.02.2021 धारा 363 भा.दं.सं. व 16/17 पोक्सो अधिनियम पुलिस थाना रामसीन में दर्ज कर थानाधिकारी, रामसीन द्वारा अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान प्रार्थी मूलसिंह से अनुसंधान कर बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. में लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किया गया। पीडिता सुश्री फिलम कंवर के फोटोग्राफ प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। पीडिता के द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. मंगवाई जाकर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। अपहृता फिलम कंवर व आरोपी महेन्द्रसिंह की तलाश हेतु श्री पुनमाराम हैड कानि. नं. 226 के नेतृत्व में टीम गठित कर चैन्नई (तमिलनाडु) को भेजा गया।

आज दिनांक 02.03.2021 को वक्त 9:30 ए.एम. पर थाना पर जरिये दूरभाष सूचना मिली कि ग्राम थुर में हविया कंवर पत्नी स्व. श्री मंगलसिंह जाति राजपुत निवासी थुर के द्वारा घर पर शरीर पर कैरोसिन उडेल कर आग लगा दी है, वगैरा सूचना पर थानाधिकारी गिरधरसिंह निरीक्षक पुलिस व सुरेन्द्रसिंह सउनि मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। मौके से घायला अवस्था में हविया कंवर को राजकीय चिकित्सालय

Scanned with CamScanner

भीनमाल में भर्ती करवाया गया। दौराने इलाज श्रीमान एमओ साहब राजकीय चिकित्सालय के द्वारा मृत्यु कालिक बयान लेखबद्ध किये गये, जिसमें बताया कि मेरी लडकी को हड़मतसिंह लेकर गया है, जो वापिस नहीं ला रहा है। दौराने इलाज हविया कंवर की मृत्यु हो जाने पर मृतका की लाश को वास्ते पोस्टमार्टम कार्यवाही हेतु मौर्चरी में रखवाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर मुलजिम महेन्द्रसिंह वगैरा की गिरफ्तारी की मांग की जाकर करीबन पच्चास लोगों के द्वारा श्रीमान एसडीएम साहब भीनमाल के समक्ष इक्कठा होकर ज्ञापन पेश किया। मृतका द्वारा केरोसिन डालकर आग लगाने एवं फिर मृत्यु होने के संबंध में प्रार्थी श्री मूलसिंह पुत्र स्व. श्री मंगलसिंह जाति राजपुत (भोमिया) के द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी, जिस पर प्रकरण सं. 34 दिनांक 02.03.2021 धारा 306/34 भा.दं.सं. मुलजिम हडमतसिंह, नरपतसिंह, शोभा कंवर व हडमतसिंह की पत्नी विरूद्ध पुलिस थाना रामसीन में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

प्रकरण में मुलजिम नरपतसिंह को दस्तीयाब कर लिया है। प्रकरण में शेष वांछित मुलजिम महेन्द्रसिंह, हडमतसिंह, शोभा कंवर व हडमतसिंह की पत्नी व अपहृता सुश्री फिलम कंवर की तलाश व दस्तियाबी हेतु अलग-अलग टीमों का गठन कर तलाश की जा रही है।

उक्त प्रकरण का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक, महिला अपराध निवारण प्रकोष्ठ, (SIUCAW), जालोर को सुपुर्द किया गया, जिनके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया जा रहा है।

प्रकरण देरी से दर्ज करने एवं थानाधिकारी, रामसीन पर लगाये गये अन्य आरोपों के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर को जांच करने के निर्देश दिये गये है।

तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

(श्यामसिंह)
पुलिस अधीक्षक,
जालोर।

pcbjlr@gmail.com,spjlr@rediffmail.com

Scanned with CamScanner